



बालाघाट जिले के बैगा आदिवासी समाज में सामाजिक परिवर्तन का एक भौगोलिक अध्ययन

डॉ. मीनाक्षी मेरावी

सहायक प्राध्यापक, भूगोल

शासकीय स्वामी विवेकानन्द महाविद्यालय त्योंथर, रीवा

प्रस्तावना –

हमारी पवित्र पावन भूमि में विभिन्न संस्कृतियों के लोग निवास करते हैं। भारत के पर्वतीय एवं वन्यक्षेत्र में अनेकों ऐसे मानव समूह निवास करते हैं, जो कि मानव सभ्यता की विकास की दृष्टि से प्रारंभिक सोपानों से आगे नहीं बढ़ पाये हैं एवं जो हजारों वर्षों से शेष विश्व की सभ्यता से दूर अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना की पहचान बनाये हुये हैं। इन्हें आदिवासी, कबीली, आदिमवासी, जनजाति, वन्यजाति आदि विभिन्न उपनामों से संबोधित किया जाता है।

आज विश्व में दो समाजों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। एक वह समाज जो आधुनिकता के शिखर की ओर तेजी से बढ़ता जा रहा है, दूसरा वह समाज है जो परंपरा के धरातल पर रुका हुआ है। सामान्यतः लोग “जनजाति तथा आदिवासी” शब्द का अर्थ पिछड़े हुये और “असभ्य मानव समूह” से समझते हैं जो एक सामान्य क्षेत्र में रहते हुये अपनी सामान्य भाषा बोलते हैं। एम्पीरियल गजेटियर में जनजाति की परिभाषा “जनजाति परिवारों के एक ऐसे समूह का नाम है, जिसका एक नाम तथा एक बोली हो तथा एक भू-भाग में रहते हैं या उस भाग को अपना मानते हों तथा अपनी जनजाति के भीतर ही विवाह इत्यादि करते हों।”

मध्य प्रदेश की जनसंख्या की विशेषता है, कि यहाँ अनुसूचित जनजातियों का बाहुल्य है। भारत में मध्य प्रदेश की एक तिहाई से भी अधिक आबादी अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की है। है। प्रदेश में गोंड, बैगा, भील, कोरकू, भारिया, हल्बा, कोल, माड़िया आदि जनजातियाँ तथा इनकी

CORRESPONDING AUTHOR:	RESEARCH ARTICLE
<p>Dr. Meenakshi Meravi Asst. Professor - Dept. of Geography Govt. Swami Vivekanand College, Teonthar, Dist. Rewa, Madhya Pradesh Email: meravimeenakshi@gmail.com</p>	

उपजातियाँ निवास करती हैं।

“जनजाति” शब्द अंग्रेजी के “Tribe” शब्द या हिन्दी रूपांतर है। सामाजिक मानव शास्त्रियों तथा मानव वैज्ञानिकों ने इन्हें आदिम (प्रिमिटिव) Primitive पद दिया है जिसका सामान्य अर्थ “प्राचीन” है। संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा आम सूचना के माध्यम से अनुसूचित जनजाति को उल्लेखित किया गया है। संसद किसी भी राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र में किसी भी जनजातीय समुदाय अथवा उसके अंश को अनुसूचित जनजातियों की सूची से निकाल सकती है अथवा उसमें जोड़ सकती है।


बैगा जनजाति मध्य भारत की प्रमुख जनजातियों में गिनी जाती है। यह जनजाति मध्यवर्ती सतपुड़ा की पहाड़ियों, पठारी, घाटियों के निर्जन व सघन वनों, ऊँचे उठे भागों में समूहों में निवास करती है।

आदिवासी बाहुल्य तथा वनाच्छादित बालाघाट जिला सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से घिरा मध्य प्रदेश राज्य के दक्षिण में उड़ते पंखी के आकार में परिलक्षित है। बालाघाट जिला मध्य प्रदेश की अनेक जनजातियों को जिनमें गोंडवाना के नाम से प्रख्यात बैहर, बिरसा, परसवाड़ा, लांजी आदि क्षेत्र हैं, जो न केवल प्राकृतिक छटा प्रदर्शित करती हैं बल्कि वृहद आदिवासी संस्कृति को भी अपने में संजोए हुए हैं। बालाघाट जिले की पाँच तहसीलों में बैहर तहसील प्रदेश की एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना के अंतर्गत आती है। संपूर्ण बैहर तहसील क्षेत्र भारत शासन द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। बैहर परियोजना क्षेत्र में कुल 481 ग्राम हैं जिनमें से वर्ष 1992 के सर्वेक्षण के अनुसार 190 ग्राम बैगा बाहुल्य आबादी वाले ग्राम हैं।

शोध अध्ययन क्षेत्र –

प्रस्तुत शोध अध्ययन में मध्य प्रदेश राज्य के अन्तर्गत बालाघाट जिले के तीन विकासखण्डों – बैहर, बिरसा व परसवाड़ा को लिया गया है। बालाघाट जिला मध्य प्रदेश राज्य के दक्षिण में स्थित उड़ते हुये पक्षी के आकार में परिलक्षित होता है। सम्पूर्ण जिला पर्वत मालाओं से घिरा है। जिले की सीमा के पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य एवं पश्चिम में महाराष्ट्र राज्य स्थित है। सिवनी एवं मण्डला जिला क्रमशः पश्चिम व उत्तर दिशा में स्थित है। जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 9,229 वर्ग किलोमीटर है। बालाघाट जिला मध्य प्रदेश राज्य के दक्षिण भाग में 21°19' से 22°24' उत्तरी अक्षांश तथा 79°39' से 81°03' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है।

बालाघाट जिले के बैगा आदिवासी समाज में सामाजिक परिवर्तन का एक भौगोलिक अध्ययन



शोध प्रविधि –

अध्ययन के उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए बालाघाट जिले के तीन विकासखण्डों (बैहर, बिरसा एवं परसवाड़ा) का दैव निर्दर्शन विधि अर्थात् अनियत प्रतिचयन विधि (Simple Random Method) द्वारा चयन किया गया है, जिसमें तीनों विकासखण्डों के कुल 190 ग्रामों में से बैहर, बिरसा एवं परसवाड़ा से क्रमशः 14, 13 व 10 ग्रामों का बैगा जनसंख्या के आधार पर आनुपातिक रूप से 37 ग्रामों को अध्ययन हेतु चयन किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन की प्रकृति आनुभाविक और प्रतिदर्श आधारित रही है।

अध्ययन क्षेत्र बालाघाट जिले से प्राथमिक एवं द्वितीयक आँकड़ों का संकलन किया गया है। प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची आधारित प्रश्नावली विधियों का प्रयोग कर क्षेत्र से आँकड़े एकत्रित किए गये हैं द्वितीयक स्रोतों से भी जानकारी प्राप्त की गई है, जिनमें मुख्यतः प्रकाशित एवं अप्रकाशित लेखों, संदर्भित पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं, वेबसाइट से सूचनाएँ एकत्रित किए गए हैं।

बैगा जनजाति : सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था –

मध्य प्रदेश की जनजातियों में बैगा जनजाति समूह अपनी आदिम पहचान रखता है। बैगा स्वयं को जंगल का राजा कहते हैं।

बैगा आदिवासी अपनी विशेषताओं के साथ राज्य के विभिन्न अंचलों में निवास कर रहे हैं। बैगा मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजातियों में से एक है। बैगा समाज प्राचीन समय से सामूहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बैगा जनजाति में पितृ मूलक परिवार की परम्परा है जिसमें पिता मुखिया होता है। बैगाओं में सामूहिक रूप से संगठित रहने की परम्परा है तथा इनका सामाजिक संगठन आंतरिक सुव्यवस्थित रहता है साथ ही संगठन की अपनी एक इकाई होती है। बैगा की आर्थिक व्यवस्था मुख्यतः कृषि व लघुवनोपजों के संग्रहण पर निर्भर है। ये लोग अपनी अर्थव्यवस्था के लिए प्रकृति पर निर्भर होते हैं।

बैगा जनजातियों का सांस्कृतिक पक्ष परम्परागत रीति-रिवाजों, प्रथाओं, लोक कलाओं से परिपूर्ण है। ये जनजाति नृत्य व संगीत प्रिय होते हैं और इनका अपना प्राचीन संगीत होता है। बैगा जनजाति के संबंध में उपलब्ध साहित्य के पुनरावलोकन से यह तथ्य स्पष्ट होता है, कि उनके आचार-विचार, रहन-सहन, सामाजिक व्यवस्था, संस्कृति, रीति-रिवाज आदि में जो परिवर्तन आए हैं उनमें बहुत धीमी गति से उनका विकास हुआ है। भारत सरकार आदिवासियों एवं पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु अनेक कार्यक्रम संचालित कर रही है। मध्य प्रदेश में आदिवासी जनसंख्या के बाहुल्य को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार इस दिशा में विशेष प्रयास कर रही है। वर्तमान समय में जबलपुर संभाग में 6 जिलों में आदिवासी विकास अभिकरण संचालित किया गया है जिनमें— 1. वृहत परियोजना मण्डला, 2. निवास, 3. डिण्डोरी, 4. तामिया, 5. लखनादौन एवं 6. बैहर परियोजनाएँ मुख्य हैं। बालाघाट जिले की पाँच तहसीलों में बैहर तहसील प्रदेश की एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना के अंतर्गत आती है। संपूर्ण बैहर तहसील क्षेत्र भारत शासन द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। वर्ष 1992 के सर्वेक्षण के पश्चात् बैगा जनजातियों की बसाहट में काफी परिवर्तन आया है।

सारणी –

परियोजना क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति (जनगणना 2001 के अनुसार)

विवरण	तहसील बैहर	विकासखण्ड		
		बैहर	बिरसा	परसवाड़ा
क्षेत्रफल	2677.10 वर्ग किलोमीटर	782.63 वर्ग किमी.	1139.83 वर्ग किमी.	563.27 वर्ग किमी.
कुल जनसंख्या	337182	89663	107792	93023
अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या	181101	59933	58461	48578
अनुसूचित जाति की जनसंख्या	12157	1766	2728	3005
कुल ग्राम	481	159	150	172
राजस्व ग्राम	417	112	147	158
वन ग्राम	64	47	03	14
पंचायत	165	56	58	51

स्रोत : एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, बालाघाट 2001


सारणी –

बालाघाट जिले की जनांकिकीय

जनसंख्या	कुल जनसंख्या	कुल पुरुष	कुल महिलाएँ	कुल अनुसूचित जाति	कुल अनुसूचित जनजाति
ग्रामीण	1456882 (85.61)	719794 (85.47)	737088 (85.76)	92759 (82.01)	271213 (90.81)
शहरी	244816 (14.39)	122384 (14.53)	122432 (14.24)	20346 (17.99)	27452 (9.19)
कुल	1701698 (100.0)	842178 (49.49)	859520 (50.51)	113105 (6.65)	298665 (17.55)

स्रोत:-www.balaghat.nic.in

आरेख –



आरेख से स्पष्ट है, कि बालाघाट जिले में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत शहरी जनसंख्या की तुलना में अधिक है। बालाघाट जिला मध्य प्रदेश का एक मात्र जिला है जहाँ पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है। जिले में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत शहरी जनसंख्या की तुलना में अधिक है ग्रामीण महिलाओं की संख्या ग्रामीण पुरुषों की तुलना में अधिक है। शहरी क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों की तुलना में कम है। जिनमें शहरी जनसंख्या 2,44,816 जिले में निवासरत् है। उसी प्रकार कुल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या 1,22,384 तथा महिला जनसंख्या 1,22,432 है जो कि नगरीय क्षेत्रों में निवास करते हैं।

आदिवासी क्षेत्रों के वर्तमान सामाजिक, आर्थिक दशाओं में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा से संबंधित समस्याएँ अपने गुण व अवसीमा में अद्वितीय है। उचित शिक्षा के अभाव और चिकित्सा संबंधी सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता न होने के कारण मृत्यु एवं बीमारी की दर शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक रहती है।

बालाघाट जिले में राष्ट्रीय आदर्श के अनुरूप सांप्रदायिक सद्भाव पाया जाता है। यहां विभिन्न धर्म व जाति के लोग निवास करते हैं। यहाँ के लोग प्रायः पुरानी परंपराओं को मानने वाले हैं। प्रायः सभी हिन्दू वैदिक धर्म पर आस्था रखते हैं। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति जिले के बैहर, बिरसा एवं परसवाड़ा विकासखण्ड में सर्वाधिक निवास करते हैं। इनमें प्रमुख आराध्य देव बड़ा देव, महादेव, छोटा देव, भीमसेन देव, दुल्हा देव आदि हैं। आदिवासी जनजाति समारोह का आयोजन भी करते हैं जो आदिवासी संस्कृति और सभ्यता का जीवन्त प्रतीक है।

बैगा जनजाति का परम्परागत सांस्कृतिक पक्ष –

जनजातीय समाज में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से आदिवासी लोकगीतों का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें संगीतात्मकता, भावनात्मकता, प्रेम, मान, विरह, परिहास, उल्लास, विश्वास, प्रथाओं रीति-रिवाजों आदि आचार-विचारों की अनुभूति युक्त मार्मिक संकेतात्मक उद्गार होता है। बैगा जनजातियों का सांस्कृतिक पक्ष परम्परागत रीति-रिवाजों, प्रथाओं, लोक कलाओं से परिपूर्ण है। ये जनजाति नृत्य व संगीत प्रिय होते हैं और इनका अपना प्राचीन संगीत होता है। जंगली वातावरण में रहने के कारण इन्होंने प्रकृति के संगीत से काफी निकटता का संबंध बनाया है।

बैगा जनजाति में गौत्र चिन्ह या टोटम प्राकृतिक परिवेश में रहने के कारण ही फल, फूल, वृक्ष, पशु, पक्षी, पर्वत, नदी, झरने, देवता इत्यादि से संबंधित होते हैं। इन्हें अपने गोत्र के प्रति अत्यधिक लगाव होता है। विवाह के समय ये अपने गोत्र चिन्हों के अनुसार संबंधित बैगा से विवाह करते हैं जो कि इनके टोटम से संबंधित होते हैं।

बैगा जनजाति में पोषक तत्वों का उपभोग प्रतिरूप, स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग व प्रभाव –

सर्वेक्षित क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है जहाँ कैलोरी का प्रमुख स्रोत चावल है। यहाँ 83 प्रतिशत कैलोरी अनाज से प्राप्त होती है। संसार की कई जनजातियाँ अपने आहार की परिपूर्ति के लिए अपने आसपास के वातावरण पर निर्भर होते हैं। हैं। बैगा अपने प्राकृतिक पर्यावरण से बहुत ही घनिष्ठ रूप से संबंधित रहते हैं। बालाघाट जिले के सघन वनों में विभिन्न प्रकार के पौधे एवं वृक्ष पाए जाते हैं, जिन पर बैगा जनजाति के लोग अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुरूप सभी के लिए स्वास्थ्य के राष्ट्रीय उद्देश्य को स्वीकार कर इसकी पुष्टि हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक त्रिस्तरीय स्वास्थ्य सेवा संरचना विकसित की गई है। बालाघाट जिले के अध्यायित आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के मुख्य केन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है। यहाँ सभी प्रकार की सामान्य चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं जिनके मुख्य कार्य निम्न प्रकार हैं –

1. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधा
2. मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन
3. पर्यावरण स्वच्छता
4. राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का क्रियान्वयन
5. स्वास्थ्य शिक्षा
6. सहायक कर्मचारियों का प्रशिक्षण

बालाघाट जिले के बैगा आदिवासी समाज में सामाजिक परिवर्तन का एक भौगोलिक अध्ययन

अध्ययन क्षेत्र बालाघाट जिले में सरकार द्वारा ग्रामीण स्तर पर प्रत्येक कस्बे में एक ग्रामीण स्वास्थ्य पथ-प्रदर्शक पुरुष तथा ग्रामीण स्वास्थ्य पथ-प्रदर्शक महिला उपलब्ध कराए गए हैं, जो प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान करते हैं। ये अपने क्षेत्र के लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जाने की सलाह देते हैं।

सारणी –

बालाघाट जिले में स्वास्थ्य सुविधाएँ

क्र.	तहसील का नाम	एलोपैथिक चिकित्सालय औषधालय	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	उपस्वास्थ्य केन्द्र	एलोपैथिक चिकित्सालय औषधालय (उपलब्ध शैयाएँ)
1	बालाघाट	1	—	4	27	318
2	किरनापुर	—	1	12	27	32
3	वारासिवनी	1	1	3	25	86
4	लालबर्गा	—	1	3	25	32
5	खैरलांजी	—	1	3	28	36
6	कटंगी	—	1	6	34	56
7	लांजी	—	—	4	29	44
8	परसवाड़ा	—	1	3	27	40
9	बैहर	—	1	2	94	40
10	बिरसा	—	1	6	39	52

स्रोत – जिला सांख्यिकीय पुस्तिका बालाघाट, 2011

जिले के प्रत्येक तहसील में स्वास्थ्य की आधुनिक चिकित्सकीय पद्धतियाँ संचालित की जा रही हैं।

विकासखण्डवार बच्चों एवं कुल कार्यशील महिलाओं का पोषण स्तर

क्र.	विकासखण्ड	बच्चों में पोषण स्तर (0 से 6 वर्ष)	कार्यशील महिलाओं का पोषण स्तर
1	बिरसा	0.7778	1.000
2	परसवाड़ा	0.8333	0.473
3	बैहर	1.0000	0.906

स्रोत—बैकवर्ड रीजन ग्रांड फंड, (2007–08 से 2011–12)

पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों में बिरसा विकासखण्ड में सबसे निम्न पोषण स्तर पाया गया है। महिला बाल विकास योजना द्वारा जिले के पिछड़े क्षेत्रों में विविध स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए कार्य संचालित किए गए हैं।

बालाघाट जिले में कुपोषण कम करने के लिए माह नवम्बर 2011 से चिरंजीवी प्रोजेक्ट चलाया गया। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य पोषण पुर्नवास केन्द्र में उपचार के बाद बच्चों की उचित देखभाल एवं पोषण आवश्यकताओं की प्रति अभिभावकों को जागरूक बनाना है। प्रोजेक्ट चिरंजीवी के तहत जिले में 350 अधिकतम वजन के बच्चों को लाभान्वित किया गया।

बालाघाट जिले में बैगा विकास अभिकरण –

बालाघाट जिले के बैहर तहसील में बैगा जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में सम्मिलित कर उनके विकास को सुनिश्चित करने हेतु मध्य प्रदेश शासन आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के आदेशानुसार विशेष जनजाति अभिकरण का गठन कर "बैगा विकास अभिकरण" बैहर, जिला बालाघाट घोषित कर अभिकरण का मुख्यालय तहसील बैहर रखा गया है। बैगा विकास अभिकरण द्वारा बैगाओं की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, नैतिक एवं शैक्षणिक स्थिति में उत्तरोत्तर विकास दिखाई दे रहा है। अभिकरण की स्थापना का मुख्य उद्देश्य बैगाचक के बैगा आदिवासियों का विकास करके उनके स्तर में सुधार करना है।

बैगा विकास अभिकरण बैहर निधि के द्वार बैगाओं के विकास हेतु अन्य योजनाएँ – बैगा ओलंपिक –

बालाघाट जिले में निवास करने वाली विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा की संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन व बैगा जनजाति के लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जिले के बैहर तहसील में टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल एवं आदिवासी विकास विभाग द्वारा अप्रैल को बैगा ओलंपिक का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में बैगाओं के पारंपरिक खेल– टिल्ली, गोबरंडा, शिकारी खेल, धनुष–बाण, रस्सा–कसी, मटका दौड़, बोरा दौड़, बाधा दौड़, त्रिटंगी दौड़, बजनी खेल (कुश्ती), लीपा–पोती, कबड्डी, खो–खो जैसे खेलों की प्रतियोगिताएँ सम्मिलित किए गए। इनके अतिरिक्त बैगा नृत्य एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर अभिकरण द्वारा उन्हें जागरूक किया जाता है।

स्रोत : <http://jagran.com> , बैगा आदिवासी

जनजातीय समस्याएँ एवं सुझाव –

जनजातीय समस्याएँ वास्तव में विस्तृत और जटिल समस्याएँ हैं, जो उनके रहन–सहन, रीति–रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, देवी–देवताओं के प्रति आस्थाओं से जुड़ी होती हैं। आदिवासी क्षेत्रों के वर्तमान, सामाजिक–आर्थिक दशाओं में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा से संबंधित समस्याएँ अपने गुण व सीमा में अद्वितीय हैं। इन क्षेत्रों में उचित शिक्षा के अभाव एवं चिकित्सा संबंधी सुविधाओं

के पर्याप्त उपलब्ध न हो सकने के कारण मृत्यु एवं बीमारी की दर शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक है। ग्रामीण समाज में विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में शिशु मृत्यु की घटना व्यापक स्तर पर पायी जाती है।

बैगा जनजाति पिछड़े क्षेत्रों में निवास करती है, जहाँ वातावरण जनजीवन के लिए समान्य नहीं है। धरातलीय बनावट, जलवायु, कृषि, परिवहन का समुचित विकास न होने व शिक्षा का अभाव के कारण, गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह कर रही है। ऐसी स्थिति में बैगा न तो अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रख पाते हैं और न ही पर्यावरण स्वच्छता का।

विकास की परंपराओं में आज भी बैगा आदिवासी शैक्षणिक दृष्टि से शून्य हैं। आर्थिक रूप से कृषि मजदूरी करके जीवन निर्वाह करना होता है। वह विभिन्न विकास कार्यक्रमों के विभिन्न आयामों से अनभिज्ञ हैं और उनसे मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित हैं। आदिवासी अंचलों में मलेरिया का प्रकोप अधिक होता है। बारिश के मौसम में मलेरिया के मरीजों की संख्या में भी वृद्धि होती है। इसलिए ऐसे क्षेत्रों में मरीजों की जाँच करने के लिए आशा कार्यकर्ताओं को किट प्रदान किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मलेरिया उन्मूलन के लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। जिससे ग्रामीण बैगा आदिवासी जन समुदाय इससे लाभान्वित हो सकेगी।

शासन द्वारा बैगा समुदाय के उत्थान के लिए प्रयास करने का निर्णय लिया गया है। आदिवासी बैगाओं के विकास व उत्थान के लिए उन्हें गोद लेने की प्रक्रिया की जा रही है, जिसमें उनके मूलभूत सुविधाओं से लेकर अन्य सभी समस्याओं का निराकरण के लिए प्रशासन द्वारा प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। बैगा आदिवासी वनग्राम विकास की दृष्टि से काफी पिछड़े हुए हैं। इन गाँवों के विकास के लिए शासन द्वारा शासकीय बजट के अनुसार प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, जिससे बैगा आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों का विकास संभव हो सकेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ —

1. अटल, योगेश, दुबे, डॉ. श्यामचरण (1965), "आदिवासी भारत", राजकमल प्रकाशन, दिल्ली।
2. आदिवासी पत्रिका (1966-67), ट्राइबल रिसर्च ब्यूरो, उड़ीसा, खण्ड- 8
3. अग्रवाल, पी.सी. (1987), दण्डकारण्य "मध्य प्रदेश के प्रादेशिक भूगोल", हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल।
4. आवातरामानी, सुरेश (1989), "बैगा आदिवासी, सामाजिक-आर्थिक कल्याण के प्रयास", मध्य प्रदेश संदेश, 10 मई।
5. बैगा विकास परियोजना: एक रिपोर्ट, बैहर (मध्य प्रदेश), 1991
6. चौरसिया, विजय (2004), "प्रकृति पुत्र बैगा", मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।
7. कटारे, एस.एस. (2001), "द बैगास", मीनाक्षी पब्लिशिंग, नई दिल्ली।

